हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	मु.नं. 01/2025 बदनसिंह बनाम राज सरकार	
18/08/2025	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 21/08/2025 को पेश हो।	
21/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 26/8/25 को पेश होवे (हस्ताक्षर)	
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आज सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— ~~06/2023~~ 01/2025

1. बदन सिंह पुत्र सोनपाल जाति जाटव निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
....................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।
....................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.ए.

उपस्थितिः—
1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय   दिनांकः— 26.08.2025

प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1241/1175 रकवा 0.12है0 बाके ग्राम मुढेरा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी न्यारानूर खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजी के चारों ओर डौल मैड कायम है तथा उक्त आराजी पर उक्त पुरानी कायमशुदा डौल मैडों के अन्दर काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा हुं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का विवाद एवं झगडा नहीं है तथा किसी न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित नहीं है। उक्त आराजी में आबारा पशु फसल को नष्ट करते रहते है जिसके कारण उक्त आराजी में फसल की सुरक्षा हेतु पूर्व की पैमाइश के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व की पैमाइश अनुसार पुनः पैमाइश करते हुये पत्थरगढी किये जाने की आज्ञा पारित की जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075—78 के खाता संख्या 149 के ख.नं. 1241/1175 रकवा 0.12है0 किस्म चाही 3 बदनसिंह पुत्र सोनपाल जाति जाटव निवासी मुढेरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 149 में कोई भी स्थगन का नोट नहीं लगा हुआ है। वर्तमान में हल्का पटवारी मुढेरा के द्वारा पूर्व में ख.नं. 1241/1175 की कोई पैमाइश नहीं की गई है। खसरा नम्बर 1241/1175 के सीमाज्ञान के पश्चात् ही पत्थरगढी किया जाना संभव होगा।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी के द्वारा फसल की आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की पत्थरगढी करबाये जाने की आज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व में की गई पैमाइश से संबंधित कोई भी दस्तावेज पत्रावली के साथ पेश नहीं

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन

किया है एवं पैरोकार सरकार के द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी की पूर्व में कोई भी पैमाइश नहीं होना अंकित किया है। उक्त विवादित आराजी की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा पैमाइश करवाये जाने के पश्चात ही सम्भब हो सकेगा। प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:--

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर